न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 131/2011/अपील

1. गंगाराम
2. लिछमण
3. लूणाराम
4. लालूराम
5. तनसुख

पुत्रगण खींवाराम समस्त जाति रैगर निवासीगण रामगढ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

अपीलान्ट्स

बनाम

1. मुन्नीकंवर पत्नी दशरथ सिंह जाति राजपूत निवासी रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
2. रम्भाकुमारी पत्नी स्व0 प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
3. तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 322 दिनांक 01.04.2010 द्वारा तहसीलदार दांतारामगढ़

वकील अपीलांट श्री सुरजभानसिंह
वकील रेस्पोडेंट श्री सोहनलाल

निर्णय **दिनांकः—31.10.2019**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट के कब्जे काश्त की भूमि ख.न. 257/768 रकबा 0.12 है0, ख.न.258 रकबा 0.38 है0, ख.न. 259 रकबा 0.83 है0, ख.न. 260 रकबा 0.80 है0, ख.नं. 261 रकबा 0.49 है0, ख.नं. 262 रकबा 0.53 है0 ग्राम धोलासरी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर मे अवस्थित है। उक्त आराजियात अपीलाण्ट्स के कब्जे काश्त की भूमिया है, जिन पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ तब से अपीलाण्ट्स व उनके पूर्वज काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त भूमियो की खातेदारी सहवन से रेस्पोडेन्टस संख्या 2 के नाम से हो गई एवं बिना किसी अधिकार के रेस्पोडेन्ट्स ने उक्त भूमियों का दिनांक 05.02.2010 रेस्पोडेन्टस संख्या 1 के पक्ष मे पुस्तक संख्या 300 मे पृष्ट संख्या 3 कम संख्या 287 पर उप पंजीयक कार्यालय दांतारामगढ में विक्रय विलेख पंजीबद्ध करवा दिया, तत्पश्चात् रेस्पोडेण्टस संख्या 3 ने दिनांक 01.04.2010 को नामान्तकरण संख्या 322 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष मे तस्दीक कर दिया। उक्त भूमियों पर रेस्पोडेण्ट संख्या 2 का कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा है, लेकिन फिर भी भू माफिया लोगों ने साज कर भूमियों का नुमाईसी विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाया है। प्रश्नगत भूमियों पर अपीलाण्ट का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं आवासीय मकान भी उक्त भूमियों पर बना रखे है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादग्रस्त आराजियात बाबत कब्जे सम्बंधी किसी प्रकार की जांच नहीं की गई। अधीनस्थ तहसीलदार ने अपीलाण्ट्स को बिना सुनवाई

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

का अवसर दिये बिना ही बाला–बाला नामान्तकरण तस्दीक किया है जो जैर अपील निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 322 को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किया गया है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजियात अपीलांटान के कब्जे काश्त की होने बाबत केवल मात्र कथन किया गया है, बल्कि कब्जे काश्त की पुष्टि बाबत किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अपीलाधीन नामांतकरण पंजीकृत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किया गया है। पंजीकृत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सक्षम स्तर से निरस्त करवाने के सम्बंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किये गये अपीलाधीन नामान्तकरण को केवल मात्र अपील के माध्यम से चुनौति दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलांट सारहीन व आधारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/10/19

(जय प्रकाश)
अति० जिला कलक्टर, सीकर
अति. जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official